न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 150/2014

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1-प्रेमदास पुत्र रामदास		1-माधा पुत्र हीरा के फौत के
2-मूलदास पुत्र रामदास फौत		कायम मुकामानः-
के कायम मुकामान :-		1/1- भंवरू पुत्र माधू फौत
2/1- किरणदेवी पत्नि मूलदास		के कायम मुकाम :-
2/2-देवीदास पुत्र मूलदास		1/1/1 मुनाराम पुत्र भंवरू
2/3-प्रहलाद दास पुत्र मूलदास		1/1/2 सुरेश पुत्र भंवरू
2/4-सागर दास पुत्र मूलदास		1/2- मदन पुत्र माधू
2/5-महेन्द्र दास पुत्र मूलदास		1/3- छोटू पुत्र माधू
2/6-लीलादेवी पुत्री मूलदास		1/4- शंकर पुत्र माधू
3-तुलसीदास पूत्र रामदास फौत		1/5- घेवर पुत्र माधू
के कायम मुकामः-		1/6- दुर्गाराम पुत्र माधू
3/1- श्रवणदास पुत्र तुलसीदास		1/7- शांति पुत्री माधू
4- मीठूदास पुत्र रामदास		जातियान-नायक, निवासीगण-
5- सुआदास पुत्र रामदास		लालजी की ढाणी रास
6- अमरदास पुत्र रामदास		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
जातियान-वैष्णव, निवासीगण-निम्बेटी		2-तहसीलदार, जैतारण,
रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली		तहसील-जैतारण, जिला-पाली

दावा बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.15.07.2014**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 04/07/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-रास-प्रथम, पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 215 रकबा 14-00 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसमें वादीगण 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 वां हिस्सा प्रतिवादीगण का हैं नकल चालू जमाबंदी इस भूमि की वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को आगे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से जाना जायेगा। वक्त सेटलमेंट के समय इस वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता व दादा रामदास पुत्र बृजलालदास उर्फ हीरादास कोम वैष्णव थे, तथा शेष 1/2 वें

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हिस्से के काबिज राखातेदार काश्तकार हीराराम वल्द संग्राम नायक है। दोनो ही हिस्सेदारो की जमीन मौके पर आपसी सहमती से अलग-अलग बंटी हुई है। माफिक हिस्सेनूसार खातेदार काबिज होकर के काश्त कर रहे थे। वादीगण के दादा व पिता रामदास का स्वर्गवास दिनांक 11/02/1996 को हो गया था। जिन पर उनका मृत्यू प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था। जिसमें रामदास की वल्दियत बृजलालदास है। रामदास के पिता बृजलालदास का दूसरा नाम हीराराम भी था। इस वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में रामदास वल्द हीरादास की प्रविष्टी हैं। जबकी मृत्यु प्रमाण-पत्र में रामदास वल्द बृजलालदास है। इसी वजह से हल्का पटवारी-रास-प्रथम रामदास के मृत्यु परान्त वादीगण के नाम की नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस पद वादीगण ने हल्का पटवारी से कई बार निवेदन भी किया, तब भी उन्होने नामान्तरकरण की कार्यवाही नही की एवं वादीगण को दिनांक 02/07/2014 को वाद-पत्र पेश करने का कहा, जिस पर यह वाद-पत्र वादीगण की और से पेश किया है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता रामदास का नाम दर्ज है। उनका स्वर्गवास 11/02/1996 को हो चुका है। वादीगण सभी उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के माफिक वादीगण अपने हक व अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकार है। रामदास के पुत्र तुलसीदास व मूलदास का स्वर्गवास भी हो गया है। उनके वारीसान सहीत सभी माफिक हक हिस्से अनुसार अपने वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकार होने से यह वादपत्र घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। नकल मृत्यु प्रमाण पत्र इस वादपत्र के साथ पेश की है। विवादित आराजी के 1/2 उहिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण हैं। तथा शेष 1/2 किस्सा आराजी प्रतिवादीगण के कब्जे व काश्त में है। वादीगण अपने हक हिस्से की आराजी पर आधूनिक तरीके से काश्त करना चाह रहे है। बाबत किसान साख पत्र बनाया जाना भी आवश्यक है। इसलिये भी वादीगण अपने 1/2 की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाना चाह रहे है। वादीगण ने इस बाबत प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन भी किया हैं, परन्तु पतिवादीगण हमेंशा ही टालमटोल करते रहे है एवं दिनांक 02/07/2014 को ऐसा बंटवाडा करवाने से व रेकर्ड दूरूस्त करवाने से स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया हैं, जिस पर यह वाद-पत्र बाबत घोषणा व बंटवाडा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है। वादीगण वक्त सैटलमेंट के पूर्व से ही वादीगण के पिता का 1/2वे हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त था। उनके स्वर्गवास उपरान्त वादीगण का 1/2 हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त, हक एवं अधिकार है। इस वर्ष 1/2 हिस्से की भूमि पर सावणू फसल भी वादीगण ने ही बाई है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में अभी तक वादीगण के पिता का नाम दर्ज होने की वजह से व वादीगण का नाम दर्ज नही हो पाने की वजह से प्रतिवादीगण मौके पर लड़ाई झगडा व वाद विवाद कर रहे है। वादीगण को भी उनके हक हिस्से की भूमि से बेकाबिज कर बेदखल करने पर आमादा है इस बाबत मौके पर भी प्रतिवादीगण विवाद करने की कुचेष्ठा कर रहे है। दिनांक 02/07/2014 को प्रतिवादीगण ने बंटवाडा कराने से ईन्कार किया। उस समय प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी आपका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। इसलिये हम तूम्हे इस भमि पर काश्त करने नही देंगे तथा नहीं मानने पर लकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लाठी के बल पर भी कब्जा करके ही रहेंगे। प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा हैं एवं बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है। यदि प्रतिवादीगण ने कानून अपने हाथ में लेकर लाठी लकड़ी के बल पर वादीगण को इस विवादित आराजी से बेदखल कर दिया, तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही सकेगी एवं वादीगण अपने पैतृक व पुश्तैनी जायदाद से हमेंशा के लिये वंचित हो जोयेगें। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यो का विरोध करेंगे, जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से वाद-पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 02 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है, जो बंटवाडा के वाद-पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्ध वाद-पत्र पेश करने से पूर्व 02 माह विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु वादीगण का वाद-पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की सम्भावना हैं। इसलिये नाटिस देना डिस्पेन्सविद कर यह वाद-पत्र अनुमती लेकर श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमती हेतु प्रार्थना पत्र साथ पेश किया है। बिनाय वाद दिनांक 02/07/2014 को प्रतिवादीगण द्वारा इस आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने से ईन्कार करने व राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सो की दूरुस्ती करवाने से ईन्कार करने व वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेकाबिज कर बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम-रास, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/2, 1/4, 1/5 व 1/6 की ओर से श्री भाकरसिंह भाटी अधिवक्ता ने वकालतनामा दिनांक 20/08/14 को पेश किया, सामिल मिसल किया गया। प्रति0 संख्या 1/3 व 1/8 को बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 13/10/2014 को की गई।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - रास में पेश हुई। प्रति0 संख्या 1 भंवरू के का0मु0 1/1/1 से 1/1/2 को रेकर्ड पर लिया गया। प्रति0 संख्या 1/1/1 से 1/7 का0मु0 पूर्व से ही रेकर्ड पर होने से प्रति0 संख्या 1/7 झमकू को रेकर्ड से (फौत हो जाने से) हटाया जाता हैं। वादीगण संख्या 1 से 6 ने लोक अदालत की भावना से तहरीरी राजीनामा पेशं किया, जो बाद तस्दीक सा0मि0 किया गया। तहरीरी तस्दीक सुदा राजीनामा में राजस्व मौजा-रास-प्रथम, पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 215 रकबा 14-00 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण संख्या 1 से 6 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/7 का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। नजरी नक्शा व राजीनामा को निर्णय का एक आवश्यक भाग माना जावें। तहसीलदार, जैतारण को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में आज आदेशित करने पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/15 आज दिनांक 04/07/2015 को पेश की, जिसे शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः माफिक राजीनामा विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा डिक्री वहक वादीगण एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा–रास–प्रथम, पटवार हल्का–रास–प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 215 रकबा 14–00 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	प्रेमदास,मिट्ठूदास, सुआदास, अमरदास पि0 रामदास, किरणदेवी पत्नि मूलदास, देवीदास, प्रहलाद दास, सागरदास, महेन्द्र दास पि0 मूलदास, लीलादेवी पुत्री मूलदास, श्रवणदास पुत्र तुलसीदास कौम–साद सा0 निम्बेटी खातेदार।	215	7-00-00	बा0दो0	1.75 रू.
2	मुनाराम सुरेश पि0 भंवरू मदन छोटू शंकर घेवर दुर्गाराम पि0 माधु शांति पुत्री माधु कौम–नायक सा0 देह खातेदार।	215/1	7-00-00	बा0दो0	1.75 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। राजीनामा बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की छाया प्रतियाँ भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1–प्रेमदास पुत्र रामदास		1–माधा पुत्र हीरा के फौत के
2–मूलदास पुत्र रामदास फौत		कायम मुकामानः–
के कायम मुकामान :–		1/1– भंवरू पुत्र माधू फौत
2/1– किरणदेवी पत्नि मूलदास		के कायम मुकाम :–
2/2–देवीदास पुत्र मूलदास		1/1/1 मुनाराम पुत्र भंवरू
2/3–प्रहलाद दास पुत्र मूलदास		1/1/2 सुरेश पुत्र भंवरू
2/4–सागर दास पुत्र मूलदास		1/2– मदन पुत्र माधू
2/5–महेन्द्र दास पुत्र मूलदास		1/3– छोटू पुत्र माधू
2/6–लीलादेवी पुत्री मूलदास		1/4– शंकर पुत्र माधू
3–तुलसीदास पूत्र रामदास फौत		1/5– घेवर पुत्र माधू
के कायम मुकामः–		1/6– दुर्गाराम पुत्र माधू
3/1– श्रवणदास पुत्र तुलसीदास		1/7– शांति पुत्री माधू
4– मीठूदास पुत्र रामदास		जातियान–नायक, निवासीगण–
5– सुआदास पुत्र रामदास		लालजी की ढाणी रास
6– अमरदास पुत्र रामदास		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
जातियान–वैष्णव, निवासीगण–निम्बेटी		2–तहसीलदार, जैतारण,
रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

<u>दावा बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई</u> **मु0न0 :रा0वा0 स0:150/2014**

<u>निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादीगण एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा–रास–प्रथम, पटवार हल्का–रास–प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 215 रकबा 14–00 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	प्रेमदास,मिठूदास, सुआदास, अमरदास पि0 रामदास, किरणदेवी पत्नि मूलदास, देवीदास, प्रहलाद दास, सागरदास, महेन्द्र दास पि0 मूलदास, लीलादेवी पुत्री मूलदास, श्रवणदास पुत्र तुलसीदास कौम–साद सा0 निम्बेटी खातेदार।	215	7-00-00	बा0दो0	1.75 रू.

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण, (पाली)

Scanned by CamScanner

2	मुनाराम सुरेश पि0 भंवरू मदन छोटू शंकर घेवर दुर्गाराम पि0 माधु शांति पुत्री माधु कौम-नायक सा0 देह खातेदार।	215/1	7-00-00	बा0दो0	1.75 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। राजीनामा बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की छाया प्रतियाँ भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	07-00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	13.00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner